मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी–मई, 1994 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 5 मई, 1994 (वैशाख 15, 1916)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री दिग्विजय सिंह, मुख्यमंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग का पैंतीसवां वार्षिक प्रतिवेदन (दिनांक 1.4.91 से 31.3.92 तक) पटल पर रखेंगे.

(2) श्री सुभाष यादव, उप मुख्यमंत्री, कम्पनीज एक्ट 1956 की धारा 619–क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार दी मध्यप्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का 20 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1988–89 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री सुभाष यादव, उप मुख्यमंत्री, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 1963 (क्रमांक 12 सन् 1963) की धारा 40 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर की वैधानिक आडिट रिपोर्ट/उत्तर एवं बोर्ड की टिप्पणी वर्ष 1989–90 (अनुभाग 1 व 2) तथा वर्ष 1990–91 पटल पर रखेंगे.

(4) श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 (क्रमांक 63 सन् 1951) की धारा 38 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश वित्त निगम की अडतीसवीं वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 1992–93 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) सर्वश्री ईश्वरदास रोहाणी, गोपीकृष्ण नेमा, बाबूलाल जैन, सदस्य, मुरैना जिले के बामौर कस्बे में पुलिस एवं होमगार्ड कर्मियों द्वारा एक बालिका के साथ बलात्कार करने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री सुकीर्ति जैन, सदस्य, जबलपुर जिले की कटनी विपणन सहकारी समिति में गंभीर अनियमितताओं की ओर उप मुख्यमंत्री (सहकारिता) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री सत्यनारायण शर्मा, सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री केशरी चौधरी, सदस्य –

(क) ग्वालियर जिले के ग्राम खिरिया आलम में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने,
(ख) ग्वालियर जिले के ग्राम खिरिया आलम में हाई स्कूल खोलने,

(2) दीवान चन्द्रभान सिंह, सदस्य –

(क) नरसिंहपुर जिले के विधानसभा क्षेत्र बोहानी में तहसील मुख्यालय खोलने,
(ख) नरसिंहपुर जिले के ग्राम तेन्दुखेड़ा के निकट बरास नदी पर बांध बनाने,

(3) श्री कैलाश कुण्डल सदस्य –

(क) देवास जिले के ग्राम पीपल्दा में माध्यमिक शाला खुलवाने,
(ख) देवास जिले के ग्राम पीपल्दा के निकट कासरनी नदी पर बांध का निर्माण किये जाने,
(ग) देवास जिले के ग्राम रायपुरा में हैण्डपंप लगवाने,
(घ) देवास जिले के ग्राम पीपल्या काटकूट से कन्नौद तक सड़क का निर्माण किये जाने,

(4) श्री शैलेन्द्र प्रधान, सदस्य –

(क) भोपाल शहर के कृष्णनगर में पेयजल समस्या का निदान किये जाने,
(ख) भोपाल शहर के शाहपुरा से बस स्टैण्ड तक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने,